100	AAX		1MISSIONER (APPEALS), GST &CENTR रस टी भवन / 2 <sup>nd</sup> Floor, GST Bhavai	Ϋ́	
	<b>Ø</b> MARKET		रंग रोड / Race Course Ring Road		
			जकोट / Rajkot – 360 001	स	
_	Tel	le Fax No. 0281 – 24	77952/2441142Email: cexappealsrajkot@	)gmail.com	
रजिस	टर्ड डाक ए.डी.द्वाराः :-		मुल आदेश मं /	दिनांक/	
ক	अपील / फाइलसंख्या/ Appeal /File No.		0.1.0. No.	Date	
	V2/31 /GDM/2018-1	19	06/AC/Mundra/2017-18	26-03-2018	
ख	अपील आदेश संख्या(Orde	er-In-Appeal No.):			
		KCH-EXC	US-000-APP-076-2019		
	आदेश का दिनांक /		जारी करने की तारीख /		
	Date of Order:	11.07.2019	Date of issue:	12.07.2019	
	श्री कुमार संतोष, प्रधानः	आयुक्त (अपील्स), राजकोट द्वा	रा पारित /		
	Passed by Shri. Kum	n <mark>ar Santosh</mark> , Principal Con	nmissioner (Appeals),Rajkot		
ग	अपर आयुक्त/ संयुक्त आयुक्त/ उपायुक्त/ सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ सेवाकर/वस्तु एवंसेवाकर, राजकोट / जामनगर / गांधीधाम। द्वारा उपरलिखित जारी मूल आदेश से सृजित: /				
	Arising out of above mentioned OIO issued by Additional/Joint/Deputy/Assistant Commissioner, Central Excise/ST / GST,				
	Rajkot / Jamnagar / Ga	andhidham :			
घ	<b>अपीलकर्ता</b> &प्रतिवादी का	नाम एवं पता /Name & Add	ress of the <b>Appeliant</b> &Respondent :-		
	Saurashtra Infra 370421	a & Power Pvt. Ltd.	., Bharat CFS, Zone-I, Adani Port I	Road, Mundra, K	
		रत कोई व्यक्ति निम्नलिखित तरीक ved by this Order-in-App	म उपयुक्त प्राधिकारा / प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर क peal may file an appeal to the appropriate	र सकता है।/ authority in the foll	
(A)	ू सीमा शुल्क कन्द्रीय उत्पाद शुल्क एव सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील, कन्द्रीय उत्पाद शुल्क आधीनेयम ,1944 की धारा 35B क एवं वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 के अंतर्गत निम्नलिखित जगह की जा सकती है ।/				
	Appeal to Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal under Section 35B of CEA, 1944 / Under Section of the Finance Act, 1994 an appeal lies to:-				
	वर्गीकरण मूल्यांकन से सम्बन्धित सभी मामले सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण की विशेष पीठ, वेस्ट व्लॉग् आर॰ के॰ पुरम, नई दिल्ली, को की जानी चाहिए ।/				
(i)	वर्गीकरण मूल्यांकन से सम आर॰ के॰ परम, नई दिल्ली	. को की जानी चाहिए ।/	. कन्द्रीय उत्पदिन शुल्क एव संवाकर अपीलीय न्यीयीधिकर	ग की विशेष पीठ, वेस्ट व्लॉ	
(i)	-				
(i) (ii)	The special bench Delhi in all matters	of Customs, Excise & S s relating to classification	ervice Tax Appellate Tribunal of West Bloc a and valuation.	k No. 2, R.K. Puram	
	The special bench Delhi in all matters उपरोक्त परिच्छेद 1(a) में पश्चिम क्षेत्रीय पोठिका,द्वि	of Customs, Excise & S s relating to classification बताए गए अपीलों के अलावा शेर तीय तल, बहुमाली भवन असावा	ervice Tax Appellate Tribunal of West Bloc 1 and valuation. प सभी अपीलें सीमा शुल्क केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अहमदावाद- ३८००१६का की जानी चाहिए।/	k No. 2, R.K. Puram अपीलीय न्यायाधिकरण (सि	
	The special bench Delhi in all matters उपरोक्त परिच्छेद 1(a) में पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका,,दि To the West regio Bhaumali Bhawan,	of Customs, Excise & S s relating to classification बताए गए अपीलों के अलावा शे तीय तल, बंहुमाली भवन असावी onal bench of Customs, , Asarwa Ahmedabad-38	ervice Tax Appellate Tribunal of West Bloc 1 and valuation. प सभी अपीलें सीमा शुल्क केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अहमदाबाद- ३८००१६को की जानी चाहिए।/ , Excise & Service Tax Appellate Tribuna 0016in case of appeals other than as menti	k No. 2, R.K. Puran अपीलीय न्यायाधिकरण (सि ul (CESTAT) at, 2 <sup>nd</sup> oned in para- 1(a) ab	
(ii)	The special bench Delhi in all matters उपरोक्त परिच्छेद 1(a) में पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका,,द्वि To the West regio Bhaumali Bhawan, अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रपन्न FA-3 को चार प्रति	of Customs, Excise & S s relating to classification बताए गए अपीलों के अलावा शेर तीय तल, बंहुमाली भवन असावा onal bench of Customs, , Asarwa Ahmedabad-38 ह समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लि यों में दर्ज किया जाना चाहिए । द	ervice Tax Appellate Tribunal of West Bloc 1 and valuation. प सभी अपीलें सीमा शल्क केंद्रीय उत्पाद शल्क एवं सेवाकर अहमदावाद- ३८००१ ६को की जानी चाहिए।/ , Excise & Service Tax Appellate Tribung 0016in case of appeals other than as menti नमें से कम ये कम एक पनि के साथ जवां उत्पाद शल्क की प्र	k No. 2, R.K. Puram अपीलीय न्यायाधिकरण (सि ul (CESTAT) at. 2 <sup>nd</sup> oned in para- 1(a) ab यम 6 के अंतर्गत निर्धारित ' यम 6 के अंतर्गत निर्धारित '	
(ii)	The special bench Delhi in all matters उपरोक्त परिच्छेद 1(a) में पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका,,द्वि To the West regio Bhaumali Bhawan, अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रपन्न FA-3 को चार प्रति	of Customs, Excise & S s relating to classification बताए गए अपीलों के अलावा शेर तीय तल, बंहुमाली भवन असावा onal bench of Customs, , Asarwa Ahmedabad-38 ह समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लि यों में दर्ज किया जाना चाहिए । द	ervice Tax Appellate Tribunal of West Bloc 1 and valuation. प सभी अपीलें सीमा शल्क केंद्रीय उत्पाद शल्क एवं सेवाकर अहमदावाद- ३८००१ ६को की जानी चाहिए।/ , Excise & Service Tax Appellate Tribung 0016in case of appeals other than as menti नमें से कम ये कम एक पनि के साथ जवां उत्पाद शल्क की प्र	k No. 2, R.K. Puram अपीलीय न्यायाधिकरण (सि ul (CESTAT) at, 2 <sup>nd</sup> oned in para- 1(a) ab यम 6 के अंतर्गत निर्धारित ' जा व्याज की माँग और लग	
(ii)	The special bench Delhi in all matters उपरोक्त परिच्छेद 1(a) में पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका,,दि To the West regio Bhaumali Bhawan, अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रपत्र EA-3 को चार प्रति जुमांना, रुपए 5 लाख या अथवा 10,000/- रुपये रजिस्टार के नाम से किसी शाखा में होना चाहिए जह निर्धारित शुल्क जमा करन	of Customs, Excise & S s relating to classification तीय तल, वंहुमाली भवन असावी onal bench of Customs, Asarwa Ahmedabad-38 5 समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लि यों में दर्ज किया जाना चाहिए। इ उससे कम,5 लाख रुपए या 50 का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति में मार्वजिनक क्षेत्र के बैंक द्वारा हो संबंधित अपीलीय न्यायाधिकर ो होगा।/	ervice Tax Appellate Tribunal of West Bloc 1 and valuation. प सभी अपीलें सीमा शुल्क केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अहमदाबाद- ३८००१६को की जानी चाहिए।/ , Excise & Service Tax Appellate Tribuna 0016in case of appeals other than as menti गुमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद शुल्क की म लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो कन संलय करें। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय जारी रेखांकित बेंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संब ण की शाखा स्थित है। स्थगन आदेश (स्ट ऑर्डर) के लिए इ	k No. 2, R.K. Puram अपीलीय न्यायाधिकरण (सि ti (CESTAT) at, $2^{nd}$ oned in para- 1(a) ab यम 6 के अंतर्गत निर्धारित ' गाँग,व्याज की माँग और लग न्यायाधिकरण की शाख के धित ड्राफ्ट का भुगतान, वैंक आवेदन-पत्र के साथ 500/-	
(ii)	The special bench Delhi in all matters उपरोक्त परिच्छेद 1(a) में पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका,,दि To the West regio Bhaumali Bhawan, अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रपत्र EA-3 को चार प्रति जुमाना, रुपए 5 लाख या अथवा 10,000/- रुपय रजिस्टार के नाम से किमी शाखा में होना चाहिए जह निर्धारित शुल्क जमा करन	of Customs, Excise & S s relating to classification ताए गए अपीलों के अलावा शेर तीय तल, बंहुमाली भवन असावा onal bench of Customs, , Asarwa Ahmedabad-38 ह, समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लि यों में दर्ज किया जाना चाहिए। इ उससे कर्म, 5 लाख रुपए या 50 का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति i भी सावजिनक क्षेत्र के बैंक द्वारा हो गी सावजिनक क्षेत्र के बैंक द्वारा होगा।/	ervice Tax Appellate Tribunal of West Bloch n and valuation. प सभी अपीलें सीमा शुल्क केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अहमदाबाद- ३८००१ ६को की जानी चाहिए।/ , Excise & Service Tax Appellate Tribuna 0016in case of appeals other than as menti नमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद शुल्क की न नमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद शुल्क की न नमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद शुल्क की न नमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद शुल्क की न नमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद शुल्क की न नमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद शुल्क की न मलग्र करें। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय जारी रेखांकित वेंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संब ण की शाखा स्थित है। स्थगन आदेश (स्ट ऑर्डर) के लिए इ	k No. 2, R.K. Puram अपीलीय न्यायाधिकरण (सि u (CESTAT) at, $2^{nd}$ oned in para- 1(a) ab यम 6 के अंतर्गत निर्धारित गँग,व्याज की माँग और लग मश: 1,000/- रुपय, 5,000 न्यायाधिकरण की शाखा के शित ड्राफ्ट का भुगतान, वैंक आवेदन-पत्र के साथ 500/-	
(ii)	The special bench Delhi in all matters उपरोक्त परिच्छेद 1(a) में पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका,,दि To the West regio Bhaumali Bhawan, अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रपत्र EA-3 को चार प्रति जुमाना, रुपए 5 लाख या अथवा 10,000/- रुपय रजिस्टार के नाम से किमी शाखा में होना चाहिए जह निर्धारित शुल्क जमा करन	of Customs, Excise & S s relating to classification ताए गए अपीलों के अलावा शेर तीय तल, बंहुमाली भवन असावा onal bench of Customs, , Asarwa Ahmedabad-38 ह, समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लि यों में दर्ज किया जाना चाहिए। इ उससे कर्म, 5 लाख रुपए या 50 का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति i भी सावजिनक क्षेत्र के बैंक द्वारा हो गी सावजिनक क्षेत्र के बैंक द्वारा होगा।/	ervice Tax Appellate Tribunal of West Bloch n and valuation. प सभी अपीलें सीमा शुल्क केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अहमदाबाद- ३८००१ ६को की जानी चाहिए।/ , Excise & Service Tax Appellate Tribuna 0016in case of appeals other than as menti नमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद शुल्क की न नमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद शुल्क की न नमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद शुल्क की न नमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद शुल्क की न नमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद शुल्क की न नमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद शुल्क की न मलग्र करें। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय जारी रेखांकित वेंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संब ण की शाखा स्थित है। स्थगन आदेश (स्ट ऑर्डर) के लिए इ	k No. 2, R.K. Puram अपीलीय न्यायाधिकरण (सि u (CESTAT) at, $2^{nd}$ oned in para- 1(a) ab यम 6 के अंतर्गत निर्धारित गँग,व्याज की माँग और लग मश: 1,000/- रुपय, 5,000 न्यायाधिकरण की शाखा के शित ड्राफ्ट का भुगतान, वैंक आवेदन-पत्र के साथ 500/-	
(ii)	The special bench Delhi in all matters उपरोक्त परिच्छेद 1(a) में पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका,,द्वि- To the West regio Bhaumali Bhawan, अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रपत्र EA-3 को चार प्रति- जुमाना, रुपए 5 लाख या अथवा 10,000/- रुपय र रजिस्टार के नाम से किमी शाखा में होना चाहिए जह निर्धारित शुल्क जमा केरन The appeal to the A Central Excise (A accompanied by dutydemand/intere of crossed bank dr where the bench of Application made for	of Customs, Excise & S s relating to classification वताए गए अपीलों के अलावा शेर तीय तल, बंहुमाली भवन असावी onal bench of Customs, , Asarwa Ahmedabad-38 क, Asarwa Ahmedabad-38 क, त्रे के क्या जाना चाहिए। इ उससे कम,5 लाख रुपए या 50 का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति में संबंधित अपीलीय न्यायाधिकर ो सी सावजिनक क्षेत्र के बैंक द्वारा हो संबंधित अपीलीय न्यायाधिकर हो संबंधित अपीलीय न्यायाधिकर हो संबंधित अपीलीय न्यायाधिकर हो ना ।/ Appellate Tribunal shall I ppeal) Rules, 2001 an / a fee of Rs. est/penalty/refund is ur raft in favour of Asst. R f any nominated public or grant of stay shall be	ervice Tax Appellate Tribunal of West Bloch n and valuation. प सभी अपीलें सीमा शल्क केंद्रीय उत्पाद शल्क एवं सेवाकर अहमदावाद- ३८००१ ६को की जानी चाहिए।/ , Excise & Service Tax Appellate Tribuna OOloin case of appeals other than as menti नर्मे से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद शुल्क की म लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो कर सलग्र करें। निर्धारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय ा जारी रेखांकित वेंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संब ण की शाखा स्थित है। स्थान आदेश (स्ट ऑर्डर) के लिए इ be filed in quadruplicate in form EA-3 / as ad shall be accompanied against one w 1,000/- Rs.5000/-, Rs.10,000/- egistrar of branch of any nominated publi sector bank of the place where the bench of accompanied by a fee of Rs. 500/-	k No. 2, R.K. Puram अपीलीय न्यायाधिकरण (सि di (CESTAT) at. 2 <sup>nd</sup> oned in para- 1(a) ab यम 6 के अंतर्गत निर्धारित ' गँग, व्याज की माँग और लग त्यायाधिकरण की शाखा के धित ड्राप्ट का मुगतान, वैंक आवेदन-पत्र के साथ 500/- prescribed under Ru where amoun where amoun c respectively in the c sector bank of the of the Tribunal is sit	
(ii)	The special bench Delhi in all matters उपरोक्त परिच्छेद 1(a) में पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका,,दि To the West regio Bhaumali Bhawan, अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रपन्न EA-3 को चार प्रति- जुमांना, रुपए 5 लाख या अथवा 10,000/- रुपय रजिस्टार के नाम से किमी शाखा में होना चाहिए जह निर्धारित शुल्क जमा करन The appeal to the A Central Excise (A accompanied by dutydemand/intere of crossed bank dir where the bench of Application made for अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रपन्न S.T5 में चार प्रति	of Customs, Excise & S s relating to classification तीय तल, बंहुमाली भवन असावा तीय तल, बंहुमाली भवन असावा onal bench of Customs, , Asarwa Ahmedabad-38 , Asarwa Ahmedabad-38 , क्रम्मक्ष अपील प्रस्तुत करने के लि यों में दर्ज किया जाना चाहिए। इ . समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लि . समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लि . समक्ष अपील प्रस्तुत करने के ति तो भी सार्वजिनक क्षेत्र के बैंक द्वारा हो नर्वाधित अपीलीय न्यायाधिकर ते होगा।/ Appellate Tribunal shall H ppeal) Rules, 2001 an / a fee of Rs est/penalty/refund is up fain favour of Asst. R f any nominated public or grant of stay shall be	ervice Tax Appellate Tribunal of West Bloc n and valuation. प सभी अपीलें सीमा शुल्क केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अहमदाबाद- ३८००१ ६को की जानी चाहिए।/ , Excise & Service Tax Appellate Tribuna 0016in case of appeals other than as menti प केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील)नियमावली, 2001, के नि नमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद शुल्क की न नमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद शुल्क की न नमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद शुल्क की न नमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद शुल्क की न नमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद शुल्क की न नमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद शुल्क की न नमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद शुल्क की न गांस रेखांकित वेंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संव जारी रेखांकित वेंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। के की शाखा स्थित है। स्थगन आदेश (स्ट ऑर्डर) के लिए ड्राइरावा of branch of ठिंग्र त्वया की क्रांक्त ते का काका संव बट्टाका का ही कि ती का राज की प्रयो हो जमका प्रति वटका का का का के विरुद्ध अपील की गयी हो जमका प्रति	k No. 2, R.K. Puram अपीलीय न्यायाधिकरण (सि ui (CESTAT) at, 2 <sup>nd</sup> oned in para- 1(a) ab यम 6 के अंतर्गत निर्धारित 1 तंग,व्याज की माँग और लग तर्शा 1,000/- रुपये, 5,000 न्यायाधिकरण की शाखा के शित ड्राफ्ट का भुगतान, वैंक शावेदन-पत्र के साथ 500/- prescribed under Ru hich at least shou where amount ac respectively in the c sector bank of the of the Tribunal is sit	
(ii) (iii)	The special bench Delhi in all matters उपरोक्त परिच्छेद 1(a) में पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका,,दि To the West regio Bhaumali Bhawan, अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रपत्र EA-3 को चार प्रति- जुमांना, रुपए 5 लाख या अथवा 10,000/- रुपय रजिस्टार कु नाम से किमी शाखा में होना चाहिए जह निर्धारित शुल्क जमा केरन The appeal to the A Central Excise (A accompanied by dutydemand/interfe of crossed bank dr where the bench of Application made for अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रपत्र S.T. 5 में चार प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) अ	of Customs, Excise & S srelating to classification वताए गए अपीलों के अलावा शेर तीय तल, वंहुमाली भवन असावा onal bench of Customs, , Asarwa Anmedabad-38 b समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लि यों में दर्ज किया जाना चाहिए । इ ' उससे कम, 5 लाख रुपए या 50 का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति में सावजिनक क्षेत्र के बैंक द्वारा हो संबधित अपीलीय न्यायाधिकर हे संबधित अपीलीय न्यायाधिकर हे होगा।/ Appellate Tribunal shall I ppeal) Rules, 2001 an ' a fee of Rs. est/penalty/refund is up raft in favour of Asst. Ru f any nominated public or grant of stay shall be समक्ष अपील, वित्त अधिनियम, 1 तया में की जा सकेगी एवं उसके से के समक्ष अपील, वित्त अधिनियम, 1 लेया में की जा सकेगी एवं उसके से	ervice Tax Appellate Tribunal of West Bloc and valuation. प सभी अपीलें सीमा शुल्क केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अहमदावाद- ३८००१ ६को की जानी चाहिए।/ , Excise & Service Tax Appellate Tribuna O016in case of appeals other than as menti- ny केंद्रीय उत्पाद शुल्क (अपील)नियमावली, 2001, के नि नमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद शुल्क की म लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो कर संलग्न करें। निधारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय जारी रेखांकित वेंक ड्रॉफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संब ण की शाखा स्थित है। स्थगन आदेश (स्ट ऑर्डर) के लिए इ be filed in quadruplicate in form EA-3 / as in 1,000/- Rs.5000/-, Rs.10,000/- to 5 Lac., 5 Lac to 50 Lac and above 50 L egistrar of branch of any nominated publi sector bank of the place where the bench of accompanied by a fee of Rs. 500/- 1994 की धारा 86(1) के अंतर्गत सेवाकर नियमवाली, 1995 माथ जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गयी हो, उसका प्रति के साथ, जहां सेवाकर की मॉग, व्याज की मॉग और लगाया	k No. 2, R.K. Puram अपीलीय न्यायाधिकरण (सि u (CESTAT) at, 2 <sup>nd</sup> oned in para- 1(a) ab यम 6 के अंतर्गत निर्धारित ' गँग, व्याज की माँग और लग न्यायाधिकरण की शाखा के श्वि ड्राफ्ट का भुगतान, वैंक आवेदन-पत्र के साथ 500/- prescribed under Ru hich at least shou where amoun ac respectively in the c sector bank of the of the Tribunal is sit of the Tribunal is sit of the Tribunal is sit of the Tribunal is sit	
(ii) (iii)	The special bench Delhi in all matters उपरोक्त परिच्छेद 1(a) में पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, दिं To the West regio Bhaumali Bhawan, अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रपन्न EA-3 को चार प्रति- जुमांना, रुपए 5 लाख या अथवा 10,000/- रुपय रजिस्टार के नाम से किमी शाखा में होना चाहिए जह निर्धारित शुल्क जमा करन The appeal to the A Central Excise (A accompanied by dutydemand/intere of crossed bank dr where the bench o Application made for अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रपन्न S.T5 में चार प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) अं कम,5 लाख रुपए या 50 निर्धारित जमा शुल्क की प्र मार्वजिनक क्षेत्र क वेक द्व	of Customs, Excise & S srelating to classification वताए गए अपीलों के अलावा शेर तीय तल, वंहुमाली भवन असावा onal bench of Customs, , Asarwa Anmedabad-38 b समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लि यों में दर्ज किया जाना चाहिए । इ ' उससे कम, 5 लाख रुपए या 50 का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति में सावजिनक क्षेत्र के बैंक द्वारा हो संबधित अपीलीय न्यायाधिकर हे संबधित अपीलीय न्यायाधिकर हे होगा।/ Appellate Tribunal shall I ppeal) Rules, 2001 an ' a fee of Rs. est/penalty/refund is up raft in favour of Asst. Ru f any nominated public or grant of stay shall be समक्ष अपील, वित्त अधिनियम, 1 तया में की जा सकेगी एवं उसके से के समक्ष अपील, वित्त अधिनियम, 1 लेया में की जा सकेगी एवं उसके से	ervice Tax Appellate Tribunal of West Bloc n and valuation. u सभी अपीलें सीमा शुल्क केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अहमदाबाद- ३८००१ ६को की जानी चाहिए।/ , Excise & Service Tax Appellate Tribuna 0016in case of appeals other than as menti- ny केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील)नियमावली, 2001, के नि नमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद शुल्क की ग नमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद शुल्क की ग तमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद शुल्क की ग तमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद शुल्क की ग तमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद शुल्क की ग तमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद शुल्क की ग तमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद शुल्क की ग त्में से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद शुल्क की त्म संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भुरातान, संबंधित अपीलीय ा जारी रेखांकित वेक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संव जारी रेखांकित वेक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संव जारी रेखांकित वेक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संव जारी रेखांकित वेक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संव प की शाखा स्थित है। स्थगन आदेश (स्ट ऑर्डर) के लिए इ be filed in quadruplicate in form EA-3 / as ad shall be accompanied against one w . 1,000/- Rs.5000/-, Rs.10,000/- pto 5 Lac. 5 Lac to 50 Lac and above 50 L egistrar of branch of any nominated public accompanied by a fee of Rs. 500/- 1994 की धारा 86(1) के अंतर्गत सेवाकर नियमवाली, 196 साथ जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गयी हो, उसका प्रति क साथ, जहां सेवाकर की मांग, व्याज की मांग और लगाया	k No. 2, R.K. Puram अपीलीय न्यायाधिकरण (सि u (CESTAT) at, 2 <sup>nd</sup> oned in para- 1(a) ab यम 6 के अंतर्गत निर्धारित ' गँग, व्याज की माँग और लग न्यायाधिकरण की शाखा के श्वि ड्राफ्ट का भुगतान, वैंक आवेदन-पत्र के साथ 500/- prescribed under Ru hich at least shou where amoun ac respectively in the c sector bank of the of the Tribunal is sit of the Tribunal is sit of the Tribunal is sit of the Tribunal is sit	
(ii) (iii)	The special bench Delhi in all matters उपरोक्त परिच्छेद 1(a) में पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, दिंग To the West regio Bhaumali Bhawan, अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रपन्न EA-3 को चार प्रति- जुमांना, रुपए 5 लाख या अथवा 10,000/- रुपय र रजिस्टार के नाम से किमी शाखा में होना चाहिए जह निर्धारित शुल्क जमा करन The appeal to the A Central Excise (A accompanied by dutydemand/intere of crossed bank dr where the bench o Application made for अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रपन्न S.T5 में चार प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) अं कम,5 लाख लपए या 50 निर्धारित जमा शुल्क की प्र मार्बेजिनक क्षेत्र के केंक द्या स्वंधित अपीलीय न्यायाधि	of Customs, Excise & S srelating to classification तीय तल, बंहुमाली भवन असावा onal bench of Customs, , Asarwa Ahmedabad-38 , Asarwa	ervice Tax Appellate Tribunal of West Bloch and valuation. u सभी अपीलें सीमा शुल्क केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अहमदाबाद- ३८००१ ६को की जानी चाहिए।/ , Excise & Service Tax Appellate Tribuna 0016in case of appeals other than as menti- ny केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील)नियमावली, 2001, के नि नमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद शुल्क की म लाख रुपए तक अयवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो कर संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भुरातान, संबंधित अपीलीय ा जारी रेखांकित वेंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संव ण की शाखा स्थित है। स्थगन आदेश (स्ट ऑर्डर) के लिए इ be filed in quadruplicate in form EA-3 / as ad shall be accompanied against one w . 1,000/- Rs.5000/-, Rs.10,000/- to 5 Lac. 5 Lac to 50 Lac and above 50 L egistrar of branch of any nominated publi sector bank of the place where the bench accompanied by a fee of Rs. 500/- 1994 की धारा 86(1) के अंतर्गत सेवाकर नियमवाली, 199 माथ जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गयी हो, उसका प्रति के साथ, जहां सेवाकर की मॉग, व्याज की मॉग और लगाया ब रुपए से अधिक है तो क्रमश: 1,000/- रुपये, 5,000/- ा भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के स रा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक ात आदेश (स्ट आंडर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/-	k No. 2, R.K. Puran अपीलीय न्यायाधिकरण (सि u (CESTAT) at, $2^{nd}$ oned in para- 1(a) at $3^{un}$ (CESTAT) at, $2^{nd}$ oned in para- 1(a) at $3^{un}$ (A) at $3^{un}$ au (A) at $3^{un}$ (A) at $3^{un}$ (A) at $3^{un}$ (A) at $3^{un}$ (A) at $3^{un}$ (A) at $3^{un}$ (A) at $3^{un}$ (A) at $3^{un}$ (A) at $3^{un}$ (A) at $3^{un}$ (A	
(ii) (iii)	The special bench Delhi in all matters उपरोक्त परिच्छेद 1(a) में पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, दिंग To the West regio Bhaumali Bhawan, अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रपन्न EA-3 को चार प्रति- जुमांना, रुपए 5 लाख या अथवा 10,000/- रुपय र रजिस्टार के नाम से किमी शाखा में होना चाहिए जह निर्धारित शुल्क जमा करन The appeal to the A Central Excise (A accompanied by dutydemand/intere of crossed bank dr where the bench o Application made for अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रपन्न S.T5 में चार प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) अं कम,5 लाख लपए या 50 निर्धारित जमा शुल्क की प्र मार्बेजिनक क्षेत्र के केंक द्या स्वंधित अपीलीय न्यायाधि	of Customs, Excise & S srelating to classification तीय तल, बंहुमाली भवन असावा onal bench of Customs, , Asarwa Ahmedabad-38 , Asarwa	ervice Tax Appellate Tribunal of West Bloch and valuation. u सभी अपीलें सीमा शुल्क केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अहमदाबाद- ३८००१ ६को की जानी चाहिए।/ , Excise & Service Tax Appellate Tribuna 0016in case of appeals other than as menti- ny केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील)नियमावली, 2001, के नि नमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद शुल्क की म लाख रुपए तक अयवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो कर संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भुरातान, संबंधित अपीलीय ा जारी रेखांकित वेंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संव ण की शाखा स्थित है। स्थगन आदेश (स्ट ऑर्डर) के लिए इ be filed in quadruplicate in form EA-3 / as ad shall be accompanied against one w . 1,000/- Rs.5000/-, Rs.10,000/- to 5 Lac. 5 Lac to 50 Lac and above 50 L egistrar of branch of any nominated publi sector bank of the place where the bench accompanied by a fee of Rs. 500/- 1994 की धारा 86(1) के अंतर्गत सेवाकर नियमवाली, 199 माथ जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गयी हो, उसका प्रति के साथ, जहां सेवाकर की मॉग, व्याज की मॉग और लगाया ब रुपए से अधिक है तो क्रमश: 1,000/- रुपये, 5,000/- ा भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के स रा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक ात आदेश (स्ट आंडर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/-	k No. 2, R.K. Puram अपीलीय न्यायाधिकरण (सि u (CESTAT) at, $2^{nd}$ oned in para- 1(a) ab यम 6 के अंतर्गत निर्धारित ' गौग,व्याज की माँग और लग स्था 1,000/- रुपये, 5,000 न्यायाधिकरण की शाखा के श्वि ड्राफ्ट का भुगतान, वैंक श्वावंदन-पत्र के साथ 500/- prescribed under Ru where amoun ac respectively in the state of the Tribunal is sit estor bank of the of the Tribunal is sit eq., के नियम 9(1) के तहत f साथ में सलग्न करें (उनमें मे गया जुर्माना,रुपए 5 लाख हायक रजिस्टार के नाम में की उस शाखा में होना चा किराए का निर्धारित शुल्क ज	
(ii) (iii)	The special bench Delhi in all matters उपरोक्त परिच्छेद 1(a) में पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, दिंग To the West regio Bhaumali Bhawan, अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रपन्न EA-3 को चार प्रति- जुमांना, रुपए 5 लाख या अथवा 10,000/- रुपय र रजिस्टार के नाम से किमी शाखा में होना चाहिए जह निर्धारित शुल्क जमा करन The appeal to the A Central Excise (A accompanied by dutydemand/intere of crossed bank dr where the bench o Application made for अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रपन्न S.T5 में चार प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) अं कम,5 लाख लपए या 50 निर्धारित जमा शुल्क की प्र मार्बेजिनक क्षेत्र के केंक द्या स्वंधित अपीलीय न्यायाधि	of Customs, Excise & S srelating to classification तीय तल, बंहुमाली भवन असावा onal bench of Customs, , Asarwa Ahmedabad-38 , Asarwa	ervice Tax Appellate Tribunal of West Bloch and valuation. u सभी अपीलें सीमा शुल्क केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अहमदाबाद- ३८००१ ६को की जानी चाहिए।/ , Excise & Service Tax Appellate Tribuna 0016in case of appeals other than as menti- ny केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील)नियमावली, 2001, के नि नमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद शुल्क की म लाख रुपए तक अयवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो कर संलग्न करें। निर्धारित शुल्क का भुरातान, संबंधित अपीलीय ा जारी रेखांकित वेंक ड्राफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संव ण की शाखा स्थित है। स्थगन आदेश (स्ट ऑर्डर) के लिए इ be filed in quadruplicate in form EA-3 / as ad shall be accompanied against one w . 1,000/- Rs.5000/-, Rs.10,000/- to 5 Lac. 5 Lac to 50 Lac and above 50 L egistrar of branch of any nominated publi sector bank of the place where the bench accompanied by a fee of Rs. 500/- 1994 की धारा 86(1) के अंतर्गत सेवाकर नियमवाली, 199 माथ जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गयी हो, उसका प्रति के साथ, जहां सेवाकर की मॉग, व्याज की मॉग और लगाया ब रुपए से अधिक है तो क्रमश: 1,000/- रुपये, 5,000/- ा भुगतान, संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के स रा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक ात आदेश (स्ट आंडर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/-	k No. 2, R.K. Puran अपीलीय न्यायाधिकरण (सि u (CESTAT) at, $2^{nd}$ oned in para- 1(a) at $3^{un}$ (CESTAT) at, $2^{nd}$ oned in para- 1(a) at $3^{un}$ (A) at $3^{un}$ au (A) at $3^{un}$ (A) at $3^{un}$ (A) at $3^{un}$ (A) at $3^{un}$ (A) at $3^{un}$ (A) at $3^{un}$ (A) at $3^{un}$ (A) at $3^{un}$ (A) at $3^{un}$ (A) at $3^{un}$ (A	
(ii) (iii)	The special bench Delhi in all matters Jurit in all the special state of the West regio Bhaumali Bhawan, Jurit Farana and Jurit Matter and State of the special state of the special to the A Central Excise (A accompanied by a the special to the A Central Excise (A accompanied by a the special to the A Central Excise (A accompanied by a strate of the special to the A Central Excise (A accompanied by a strate of the special to the A Central Excise (A accompanied by a strate of the special to the A Central Excise (A accompanied by a strate of the special to the A companied by a a accompanied by a b a accompanied b a b a accompani	of Customs, Excise & S srelating to classification वताए गए अपीलों के अलावा शेर तीय तल, बंहुमाली भवन असावी onal bench of Customs, , Asarwa Anmedabad-38 ह. समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लि यों में दर्ज किया जाना चाहिए । इ उससे कम,5 लाख रुपए या 50 का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति i भी सावजिनक क्षेत्र के बैंक द्वारा हा नंबधित अपीलीय न्यायाधिकर i नंबधित अपीलीय न्यायाधिकर i नंबधित अपीलीय न्यायाधिकर i त्रंबित अपीलीय न्यायाधिकर i त्रंबित अपीलीय न्यायाधिकर i त्रंबित अपीलीय न्यायाधिकर i होगा ।/ Appellate Tribunal shall H ppeal) Rules, 2001 an y a fee of Rs. est/penalty/refund is ur raft in favour of Asst. Ru f any nominated public or grant of stay shall be to समक्ष अपील, वित्त अधिनियम, 1 त्या में की जा सकेगी एवं उसके स् it बुनमें से कम से कम एक प्रति i ते संतप्र करें। निर्धारित शुल्क क गरा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वा धेकरण की शाखा स्थित है । स्थग sub section (1) of Sectior n Form S.T.5 as prescr copy of the order appe fees of Rs. 1000/- whee it not exceeding Rs. Fil lty levied is more than f ro f the bench of nomin	ervice Tax Appellate Tribunal of West Bloc and valuation. प सभी अपीलें सीमा शुल्क केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अहमदावाद- ३८००१ ६को की जानी चाहिए।/ , Excise & Service Tax Appellate Tribuna O016in case of appeals other than as menti- ny केंद्रीय उत्पाद शुल्क (अपील)नियमावली, 2001, के नि नमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद शुल्क की म लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो कर संलग्न करें। निधारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय जारी रेखांकित वेंक ड्रॉफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संब ण की शाखा स्थित है। स्थगन आदेश (स्ट ऑर्डर) के लिए इ be filed in quadruplicate in form EA-3 / as in 1,000/- Rs.5000/-, Rs.10,000/- to 5 Lac., 5 Lac to 50 Lac and above 50 L egistrar of branch of any nominated publi sector bank of the place where the bench of accompanied by a fee of Rs. 500/- 1994 की धारा 86(1) के अंतर्गत सेवाकर नियमवाली, 1995 माथ जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गयी हो, उसका प्रति के साथ, जहां सेवाकर की मॉग, व्याज की मॉग और लगाया	k No. 2, R.K. Puram अपीलीय न्यायाधिकरण (सि ui (CESTAT) at, 2 <sup>nd</sup> oned in para-1(a) ab यम 6 के अंतर्गत निर्धारित ' गँग, व्याज की माँग और लग स्था: 1,000/- रुपये, 5,000 न्यायाधिकरण की शाखा के श्वित ड्राण्ट का भुगतान, वैंक आवेदन-पत्र के साथ 500/- prescribed under Ru hich at least shou where amoun ac respectively in the c sector bank of the of the Tribunal is sit भ, के नियम 9(1) के तहत f साथ में संलग्न करें (उनमें में गया जुर्माना,रुपए 5 लाख रुपये अथवा 10,000/- द हायक रजिस्टार के नाम में की उस शाखा में होना चा रुपए का निर्धारित शुल्क जन late Tribunal Shall b cules, 1994, and Sho nanded & penalty levied is of service tax & ir pank draft in favoured to bench of Tribu	
(ii) (iii)	The special bench Delhi in all matters Jurit in all the special state of the West regio Bhaumali Bhawan, Jurit Farana and Jurit Matter and State of the special state of the special to the A Central Excise (A accompanied by a the special to the A Central Excise (A accompanied by a the special to the A Central Excise (A accompanied by a strate of the special to the A Central Excise (A accompanied by a strate of the special to the A Central Excise (A accompanied by a strate of the special to the A Central Excise (A accompanied by a strate of the special to the A companied by a a accompanied by a b a accompanied b a b a accompani	of Customs, Excise & S srelating to classification वताए गए अपीलों के अलावा शेर तीय तल, बंहुमाली भवन असावी onal bench of Customs, , Asarwa Anmedabad-38 ह. समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लि यों में दर्ज किया जाना चाहिए । इ उससे कम,5 लाख रुपए या 50 का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति i भी सावजिनक क्षेत्र के बैंक द्वारा हा नंबधित अपीलीय न्यायाधिकर i नंबधित अपीलीय न्यायाधिकर i नंबधित अपीलीय न्यायाधिकर i त्रंबित अपीलीय न्यायाधिकर i त्रंबित अपीलीय न्यायाधिकर i त्रंबित अपीलीय न्यायाधिकर i होगा ।/ Appellate Tribunal shall H ppeal) Rules, 2001 an y a fee of Rs. est/penalty/refund is ur raft in favour of Asst. Ru f any nominated public or grant of stay shall be to समक्ष अपील, वित्त अधिनियम, 1 त्या में की जा सकेगी एवं उसके स् it बुनमें से कम से कम एक प्रति i ते संतप्र करें। निर्धारित शुल्क क गरा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वा धेकरण की शाखा स्थित है । स्थग sub section (1) of Sectior n Form S.T.5 as prescr copy of the order appe fees of Rs. 1000/- whee it not exceeding Rs. Fil lty levied is more than f ro f the bench of nomin	ervice Tax Appellate Tribunal of West Bloc n and valuation. प सभी अपीलें सीमा शुल्क केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अहमदावाद- ३८००१ ६को की जानी चाहिए।/ , Excise & Service Tax Appellate Tribuna Oolfoin case of appeals other than as menti- ny केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील)नियमावली, 2001, के नि नमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद शुल्क की म लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो कर संलग्न करें। निधारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय जारी रेखांकित वेंक ड्रॉफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संब ण की शाखा स्थित है। स्थगन आदेश (स्ट ऑर्डर) के लिए इ be filed in quadruplicate in form EA-3 / as nd shall be accompanied against one w 1,000/- Rs.5000/-, Rs.10,000/- to 5 Lac., 5 Lac to 50 Lac and above 50 L egistrar of branch of any nominated publi sector bank of the place where the bench of accompanied by a fee of Rs. 500/- 1994 की धारा 86(1) के अंतर्गत सेवाकर नियमवाली, 1995 स्था जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गयी हो, उसका प्रति के साथ, जहां सवाकर की मॉग, व्याज की मॉग और लगावा a रुपए से अधिक है तो क्रमश: 1,000/- रुपये, 5,000/- 1994 की धारा 86(1) के अंतर्गत सेवाकर जियमवाली, 1995 स्थायान, नंवधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के स रा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक ान आदेश (स्ट ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- 1986 of the Finance Act, 1994, to the Appel ibed under Rule 9(1) of the Service Tax F ealed against (one of which shall be certif re the amount of service tax & interest der amount of service tax & interest der fty Lakhs, Rs.10,000/- where the amount ifty Lakhs, Rs.10,000/- where the amount ifty Lakhs, Rs.10,000/- where the place where the Dic Sector Bank of the place where the place where fty Lakhs, Rs.10,000/- where the amount ifty Lakhs, Rs.10,000/- where the amount ifty Lakhs, Rs.10,000/- where the amount ifty Lakhs, Rs.10,000/- where the place where fty Lakhs, Rs.10,000/- where the amount ifty Lakhs, Rs.10,000/- where the amount ifty Lakhs, Rs.10,000/- where the place where fty Lakhs, Rs.10,000/- where the place where fty Lakhs, Rs.10,000/- where t	k No. 2, R.K. Puram अपीलीय न्यायाधिकरण (सि ui (CESTAT) at, 2 <sup>nd</sup> oned in para-1(a) ab यम 6 के अंतर्गत निर्धारित ' गँग, व्याज की माँग और लग स्था: 1,000/- रुपये, 5,000 न्यायाधिकरण की शाखा के श्वित ड्राण्ट का भुगतान, वैंक आवेदन-पत्र के साथ 500/- prescribed under Ru hich at least shou where amoun ac respectively in the c sector bank of the of the Tribunal is sit भ, के नियम 9(1) के तहत f साथ में संलग्न करें (उनमें में गया जुर्माना,रुपए 5 लाख रुपये अथवा 10,000/- द हायक रजिस्टार के नाम में की उस शाखा में होना चा रुपए का निर्धारित शुल्क जन late Tribunal Shall b cules, 1994, and Sho nanded & penalty levied is of service tax & ir pank draft in favoured to bench of Tribu	
(ii) (iii)	The special bench Delhi in all matters Jurit in all the special state of the West regio Bhaumali Bhawan, Jurit Farana and Jurit Matter and State of the special state of the special to the A Central Excise (A accompanied by a the special to the A Central Excise (A accompanied by a the special to the A Central Excise (A accompanied by a strate of the special to the A Central Excise (A accompanied by a strate of the special to the A Central Excise (A accompanied by a strate of the special to the A Central Excise (A accompanied by a strate of the special to the A companied by a a accompanied by a b a accompanied b a b a accompani	of Customs, Excise & S srelating to classification वताए गए अपीलों के अलावा शेर तीय तल, बंहुमाली भवन असावी onal bench of Customs, , Asarwa Anmedabad-38 ह. समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लि यों में दर्ज किया जाना चाहिए । इ उससे कम,5 लाख रुपए या 50 का निर्धारित जमा शुल्क की प्रति i भी सावजिनक क्षेत्र के बैंक द्वारा हा नंबधित अपीलीय न्यायाधिकर i नंबधित अपीलीय न्यायाधिकर i नंबधित अपीलीय न्यायाधिकर i त्रंबित अपीलीय न्यायाधिकर i त्रंबित अपीलीय न्यायाधिकर i त्रंबित अपीलीय न्यायाधिकर i होगा ।/ Appellate Tribunal shall H ppeal) Rules, 2001 an y a fee of Rs. est/penalty/refund is ur raft in favour of Asst. Ru f any nominated public or grant of stay shall be to समक्ष अपील, वित्त अधिनियम, 1 त्या में की जा सकेगी एवं उसके स् it बुनमें से कम से कम एक प्रति i ते संतप्र करें। निर्धारित शुल्क क गरा जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वा धेकरण की शाखा स्थित है । स्थग sub section (1) of Sectior n Form S.T.5 as prescr copy of the order appe fees of Rs. 1000/- whee it not exceeding Rs. Fil lty levied is more than f ro f the bench of nomin	ervice Tax Appellate Tribunal of West Bloc n and valuation. प सभी अपीलें सीमा शुल्क केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अहमदावाद- ३८००१ ६को की जानी चाहिए।/ , Excise & Service Tax Appellate Tribuna Oolfoin case of appeals other than as menti- ny केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील)नियमावली, 2001, के नि नमें से कम से कम एक प्रति के साथ, जहां उत्पाद शुल्क की म लाख रुपए तक अथवा 50 लाख रुपए से अधिक है तो कर संलग्न करें। निधारित शुल्क का भुगतान, संबंधित अपीलीय जारी रेखांकित वेंक ड्रॉफ्ट द्वारा किया जाना चाहिए। संब ण की शाखा स्थित है। स्थगन आदेश (स्ट ऑर्डर) के लिए इ be filed in quadruplicate in form EA-3 / as nd shall be accompanied against one w 1,000/- Rs.5000/-, Rs.10,000/- to 5 Lac., 5 Lac to 50 Lac and above 50 L egistrar of branch of any nominated publi sector bank of the place where the bench of accompanied by a fee of Rs. 500/- 1994 की धारा 86(1) के अंतर्गत सेवाकर नियमवाली, 1995 स्था जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गयी हो, उसका प्रति के साथ, जहां सवाकर की मॉग, व्याज की मॉग और लगावा a रुपए से अधिक है तो क्रमश: 1,000/- रुपये, 5,000/- 1994 की धारा 86(1) के अंतर्गत सेवाकर जियमवाली, 1995 स्थायान, नंवधित अपीलीय न्यायाधिकरण की शाखा के स रा किया जाना चाहिए। संबंधित ड्राफ्ट का भुगतान, बैंक ान आदेश (स्ट ऑर्डर) के लिए आवेदन-पत्र के साथ 500/- 1986 of the Finance Act, 1994, to the Appel ibed under Rule 9(1) of the Service Tax F ealed against (one of which shall be certif re the amount of service tax & interest der amount of service tax & interest der fty Lakhs, Rs.10,000/- where the amount ifty Lakhs, Rs.10,000/- where the amount ifty Lakhs, Rs.10,000/- where the place where the Dic Sector Bank of the place where the place where fty Lakhs, Rs.10,000/- where the amount ifty Lakhs, Rs.10,000/- where the amount ifty Lakhs, Rs.10,000/- where the amount ifty Lakhs, Rs.10,000/- where the place where fty Lakhs, Rs.10,000/- where the amount ifty Lakhs, Rs.10,000/- where the amount ifty Lakhs, Rs.10,000/- where the place where fty Lakhs, Rs.10,000/- where the place where fty Lakhs, Rs.10,000/- where t	k No. 2, R.K. Puram अपीलीय न्यायाधिकरण (सि u (CESTAT) at, 2 <sup>nd</sup> oned in para- 1(a) ab यम 6 के अंतर्गत निर्धारित 1 गँग, व्याज की मांग और लग त्यायाधिकरण की शाखा के श्वित ड्राफ्ट का भुगतान, वैंक आवेदन-पत्र के साथ 500/- prescribed under Ru hich at least shou where amount ac respectively in the c sector bank of the of the Tribunal is sitt गया जुर्माना, रुपए 5 लाख रुपय अयवा 10,000/- इ त्याक रजिस्टार के नाम से की उस शाखा में होना चार्ति रुपए का निर्धारित शुल्क जम late Tribunal Shall b Rules, 1994, and Shou nanded & penalty levied is of service tax & ir pank draft in favoured	

•

(i)

- वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 86 की उप-धाराओं (2) एवं (2A) के अंतर्गत दर्ज की गयी अपील, सेवाकर नियमवाली, 1994, के नियम 9(2) एवं 9(2A) के तहत निर्धारित प्रपन्न S.T.-7 में की जा सकेगी एवं उसके साथ आदुरू, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अयवा आयुक्त (अपील), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा पारित आदेश की प्रतियाँ संलग्न करें (उनमें में एक प्रति श्रमाणित होनी चहिए) और आयुक्त द्वारा महायक आयुक्त अयवा उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा पारित आवे करें (उनमें में एक प्रति श्रमाणित होनी चहिए) और आयुक्त द्वारा महायक आयुक्त अयवा उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/ मंवाकर, को अपीलीय न्यायाधिकरण को आवंदन दर्ज रूगते का निर्देश देने वान्त्र आरंग अग्नि भी साथ में संलग्न करनी होगी। / The appeal under sub section (2) and (2A) of the section 86 the Finance Act 1994, shall be filed in For ST.7 as prescribed under Rule 9 (2) & 9(2A) of the Service Tax Rules, 1994 and shall be accompanied by a copy of order of Commissioner Central Excise or Commissioner, Central Excise (Appeals) (one of which shall be a certified copy) and copy of the order passed by the Commissionerauthorizing the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Excise / Service Tax to file the appeal before the Appellate Tribunal. नीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय प्राधिकर (सेन्टेट) के प्रति अपीलों के मामले में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धान 35एफ के अंतर्गत, जो की वित्तीय अधिनियम, 1994 की धारा 83 के अंतर्गत तेवाकर को भी लागू की गई है, इस आदेश के प्रति अपीलीय प्राधिकरण में अपील करते समय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय प्राधिकरा (10%), जब रांग एवं जुर्माना विवादित है, या जुर्माना, जब केवल जुर्माना विवादित है, का भुगतान किया जाए, वश्व कि इस धारा के अंतर्गत जमा कि जाने वाली अपश्चित देव राशि दिय करीड रुपए से अधिक न हो। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर के अंतर्गत ताली अपश्रित देव राशि दिय करी, करी जपीलीय प्राधिकारी के समक्ष विचारधीन (i) संतवेद जमा की जी गई गलत राशि (ii) संतवेद जमा की जिर्का तराशि (iii) संतवेद जमा नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत देव रकस वशते यह कि इस धारा के प्रावधान वित्तीय (सं॰ 2) अधिनियम 2014 के आरंभ से पूर्व किसी अपीलीय प्र

(ii)

- वंशतें यह कि इस धारा के प्रावधान वित्तीय (सं॰ 2) अधिनियम 2014 के आरंभ से पूर्व किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन स्थान अप्री एवं अपील को लागू नहीं होगे।/ For an appeal to be filed before the CESTAT, under Section 35F of the Central Excise Act, 1944 which is also made applicable to Service Tax under Section 83 of the Finance Act, 1994, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute, provided the amount of pre-deposit payable would be subject to a ceiling of Rs. 10 Crores, Under Central Excise and Service Tax, "Duty Demanded" shall include : (i) amount determined under Section 11 D; (ii) amount of erronecus Cenvat Credit taken; (iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules - provided further that the provisions of this Section shall not apply to the stay application and appeals pending before any appellate authority prior to the commencement of the Finance (No.2) Act, 2014.

#### (C)

भारत सरकार कोपुनरीक्षण आवेदन : Revision application to Government of India: इस आदेश की पुनरीक्षणयाचिका निम्नालिखित मामलो में, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम,1994 की धारा 35EE के प्रथमपरंतुक के अंतर्गतअवर नचिव, भारत सरकार, पुनरीक्षण आवेदन ईकाई, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संमद मार्ग, नई दिल्ली-110001, को किया जाता चाहिए। / A revision application lies to the Under Secretary, to the Government of India, Revision Application Unit, Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi-110001, under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35B ibid:

यदि माल के किसी नुकसान के मामले में, जहां नुकसान किसी माल को किसी कारखाने में भंडार गृह के पारगमन के दौरान या किसी अन्य कारखाने या फिर किसी एक भंडार गृह में दूसरे भंडार गृह पारगमन के दौरान, या किसी भंडार गृह में या भंडारण में माल के प्रसंस्करण के दौरान, किसी कारखाने या किसी मंडार गृह में माल के नुकसीन के मामले में।/ In case of any loss of goods, where the loss occurs in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse (i)

- भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात कर रहे माल के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल पर भरी गई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के छुट (रिवेट) के मामले में, जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या क्षेत्र को निर्यात की गयी है। / In case of rebate of duty of excise on goods exported to any country or territory outside India of on excisable material used in the manufacture of the goods which are exported to any country or territory outside India. (ii)
- यदि उत्पाद शुल्क का भुगतान किए बिना भारत के बाहर, नेपाल या भूटान को माल निर्यात किया गया है। / In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty. (iii)
- सुनिश्चित उत्पाद के उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो ड्यूटी क्रेडीट इस अधिनियम एवं इसके विभिन्न प्रावधानों के तहत मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो आयुक्त (अपील) के द्वारा वित्त अधिनियम (न° 2),1998 की धारा 109 के द्वारा नियंत की गई तारीख अथवा समायाविधि पर या वाद में पारित किए गए है।/ Credit of any duty allowed to be utilized towards powered of the (iv) Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec. 109 of the Finance (No.2) Act, 1998.
- उपरोक्त आवेदन की दो प्रतियां प्रपत्र संख्या EA-8 में, जो की केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील)नियमावली,2001, के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्द्रिष्ट है, इस आदश के संप्रेषण के 3 माह के अंतर्गत की जानी चाहिए । उपरोक्त आवेदन के साथ मूल आदश व अपील आदश की दो प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए। साथ ही केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-EE के तहन निर्धारित शुल्क की अदायगी के साक्ष्य के तौर पर TR-6 की प्रति संलग्न की जानी चाहिए। / (v)

The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.

- पुनरीक्षण आवेदन के साथ निम्नलिखित निर्धारित शुल्क की अदायगी की जानी चाहिए। जहाँ संलग्न रकम एक लाख रूपये या उससे कम हो तो रूपये 200/- का भुगतान किया जाए और यदि संलग्न रकम एक लाख रूपये से ज्यादा हो तो रूपये 1000 -/ का भुगतान किया जाए। The revision application shall be accompanied by a fee of Rs. 200/- where the amount involved in Rupees One Lac or less and Rs. 1000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac. (vi)
- यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश है तो प्रत्येक मूल आदेश के लिए शुल्क का भुगतान, उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिये। इस तथ्य के होते हुए भी की लिखा पढ़ी कार्य से वचने के लिए यथास्थिति अपीलिय नयाधिकरण को एक अपील या केंद्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता है। / In case, if the order covers variousnumbers of order- in Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner, not withstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lakh fee of Rs. 100/- for each. (D)
- यथामंशोधित न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1975, के अनुमूची-I के अनुसार मूल आदेश एवं स्थगन आदेश की प्रति पर निर्धारित 6.50 रुपये का न्यायालय शुल्क टिकिट लगा होना चाहिए। / One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjudicating authority shall bear a court fee stamp of Rs.6.50 as prescribed under Schedule-I in terms of the Court Fee Act,1975, as amended. (E)
- मीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्य विधि) नियमावली, 1982 में वर्णित एवं अन्य संबन्धित मामलों को सम्मिलित करने वाले नियमों की और भी ध्यान आकर्षित किया जाता है। / Attention is also invited to the rules covering these and other related matters contained in the Customs, Excise and Service Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982. (F)
- (G)
- उच्च अपीलीय प्राधिकारी को अपील दाखिल करने से संबंधित व्यापक, विस्तृत और नवीनतम प्रावधानों के लिए, अपीलार्थी विभागीय वेवसाइट www.cbec.gov.in को देख सकते हैं। / For the elaborate, detailed and latest provisions relating to filing of appeal to the higher appellate authority, the appellant may refer to the Departmental website www.cbec.gov.in.



#### :: ORDER-IN-APPEAL ::

M/s Saurashtra Infra & Power Pvt. Ltd, Bharat CFS Zone 1, Adani Port Road, Mundra, Kutch, Gujarat-370421 having Service Tax Registration No. AAJCS0161NST001(*hereinafter referred to as* "Appellant") filed Appeal No. V2/31/GDM/2018-19 against Order-in-Original No. 06/AC/Mundra/2017-18 dated 26.03.2018(*hereinafter referred to as* 'impugned order') passed by the Assistant Commissioner, CGST Division Mundra, Gandhidham Commissionerate (hereinafter referred to as "lower adjudicating authority").

2. The brief facts of the case are that the Appellant was operating Container Freight Station (CFS) at Mundra and provided "Cargo Handling Services", "Storage and Warehousing Services", "Goods Transport Agency Service" and "Business Support Services". During the course of CERA Audit, it was found that the Appellant was running canteen in port premises where food was served on chargeable basis and income was booked under the head "canteen sales" during F.Y. 2013-14,2014-15 and 2015-16. It was alleged by Audit that Appellant had rendered canteen services within the port area and therefore, the services would fall under the purview of 'port services' in terms of Section 65(82) of the Finance Act, 1994 (herein after referred to as "Act") read with Section 65(105)(zn) of the Act and the Appellant was liable to pay service tax.

2.2 Show Cause Notice No. V/15-06/Mundra/ADJ/2017-18 dated 08.11.2017 was issued calling the Appellant to show cause as to why Service Tax of Rs. 22,05,134/- should not be demanded and recovered under Section 73(1) of the Act, along with interest under Section 75 of the Act and also proposed penalty under Sections 76,77 and 78 of the Act.

2.3 The above Show Cause Notice was adjudicated vide the impugned order, which confirmed Service Tax of Rs. 22,05,134/- and ordered for its recovery under Section 73(1) of the Act. along with interest under the Section 75 of the Act and imposed penalty of Rs. 10,000/- Section 77 and Rs. 22,05,134/- under Section 78 of the Act.

3. Being aggrieved with the impugned order, the Appellant has

and

preferred appeal on the grounds, inter alia, as below :-

(i) The appellant is a Container Freight Station, and has been providing the facility of canteen for the visitors and staff of the CFS, which is a mandatory clause. They have shown this income in their balance sheet but not in their ST-3 returns because they think that this service is exempted from service tax as per clause 19 of exemption Notification No. 25/2012-ST dated 20.6.2012 since their canteen is not air conditioned.

(ii) The said canteen is in a public place, therefore suppression cannot be alleged and extended period of limitation cannot be invoked and relied upon case law of R. P. Shah - 2016(42) STR 839 (Tri Mumbai) duly affirmed by the Hon'ble Supreme Court in 2016(44) STR J214 (SC).

(iii) The port services are provided by the port authorities, or a person authorized by them. In the present case, the appellant provided canteen service within CFS which is mandatory obligation and cannot be covered under 'Port Service'.

4. Personal Hearing were fixed in the case on 18.3.2019, 2.4.2019, 18.4.2019, 5.5.2019 and 4.6.2019. However, neither any response/reply came nor any person appeared on behalf of the Appellant on any of the given five dates or on any date thereafter. Hence, I take up this appeal for decision on the basis of available records and the grounds of Appeal as the Appellant has been given sufficient opportunities to represent their case but they failed to avail opportunities given to them.

### Findings:

5. I find that the Appellant has complied with the provisions of Section 35F of the Act by depositing Rs. 1,65,385/- @7.5% of Rs. 22,05,134/- vide Challan No. 00084 dated 5.5.2018, as declared by them in Appeal Memorandum and the Commissionerate has not sent any report contradicting their claim.

6. I have carefully gone through the facts of the case, the impugned order and the grounds of appeal submitted by the appellant in the memorandum of appeal. The issue to be decided is whether the impugned

6 mg

Page 4 of 8

order, in the facts of this case, is correct, legal and proper or not.

:~

7. On going through the records, I find that the Appellant was operating Container Freight Station (CFS) at Mundra; that the Appellant was also running a canteen in their premises where food was being served to staff of CFS, visitors etc. on the chargeable basis. The Adjudicating authority has held that since this service was rendered within the port area, the Appellant was liable to pay service tax under 'port service' in terms of Section 65(82) of the Act read with Section 65(zn) *ibid*. The Appellant in the Appeal Memorandum has mainly contended that their canteen is not air conditioned and hence, they are exempted from service tax in terms of clause 19 of Notification No. 25/2012-ST dated 20.6.2012, as amended.

8. I find it is pertinent to examine the term 'Port Service' defined under Section 65(82) of the Act, which reads as under:

"port service" means <u>any service rendered within a port</u> or other port, <u>in</u> <u>any manner</u>;

(Emphasis Supplied)

8.1 Further, the terms 'taxable service' is defined under Section 65(105)(zn) of the Act, as under:

"to any person, by any other person, in relation to port services in a port, in any manner :

Provided that the provisions of section 65A shall not apply to any service when the same is rendered wholly within the port;"

8.2 The above definition is clear and unambiguous. Any service provided within a port is covered under the definition of 'Port Service' and the definition says that provisions of Section 65A of the Act shall not apply when the same is rendered wholly within the port. In the present appeal, the Appellant has not disputed that they operate within the port of Mundra, also that they serve food to their staff and visitors in their canteen situated within the port and has collected charges. All these facts are not disputed by the Appellant, hence, in my view the service provided for serving food in canteen within port area is covered under 'Port Service' by virtue of provisions of Section 65(82) of the Act reproduced



Page 5 of 8

supra and the Appellant is liable to pay service tax on consideration received in this regard.

8. Regarding contention of the Appellant that their canteen is not air conditioned and hence, they are exempted from service tax in terms of clause 19 of Notification No. 25/2012-ST dated 20.6.2012, as amended, I find it is pertinent to examine clause 19 of Notification No. 25/2012-ST dated 20.6.2012 as under:

"19. Services provided in relation to serving of food or beverages by a restaurant, eating joint or a mess, other than those having the facility of air-conditioning or central air-heating in any part of the establishment, at any time during the year;"

9. As per records, the Appellant was running canteen for serving food to their staff. As per Cambridge dictionary, 'canteen' is defined as :

"a place in a factory, office, etc. where food and meals are sold, often at a lower than usual price"

9.1 In view of above definition, canteen can not be said to be a restaurant, an eating joint or a mess and hence, canteen run by the Appellant is not covered by clause 19 reproduced *supra*. The Appellant is, therefore, not eligible for exemption from service tax under Notification No. 25/2012-ST dated 20.6.2012. I, therefore, hold that the Appellant is liable to pay service tax on income booked under the head 'Canteen Sales' and the impugned order confirming demand of service tax of Rs. 22,05,134/- along with interest at applicable rate is correct, legal and proper.

10. The Appellant has contended that since canteen is in a public place, suppression cannot be alleged and extended period of limitation cannot be invoked. I find that Section 68 of the Act casts liability on the service providers to make payment of service tax on the taxable services rendered by them. Merely because canteen is situated in a public place, it is not correct to presume that the Appellant has not suppressed the facts from the Department, when providing of food etc. to their staff was not brought to the notice of the jurisdictional Service Tax Range/ Division office and also not reflected in their Service Tax Returns. It is on record



the mo

Page 6 of 8

that non payment of service tax on this account was revealed only during audit of the records of the Appellant. Had there been no audit of the Appellant's records, the non payment of service tax on income booked by the Appellant in this regard would have gone unnoticed and hence, ingredients for invoking extended period under Section 73 of the Act very much exist in the present case. Accordingly, I hold that the demand is not barred by limitation. In this regard, I rely on the order passed by the Hon'ble CESTAT, Chennai in the case of Six Sigma Soft Solutions (P) Ltd. reported as 2018 (18) G.S.T.L. 448 (Tri. - Chennai), wherein it has been held that,

15

"6.5 Ld. Advocate has been at pains to point out that there was no *mala fide* intention on the part of the appellant. He has contended [that] they were under the impression that the said activities would come within the scope of IT services, hence not taxable. For this reason, Ld. Advocate has contended that extended period of time would not be invocable. However, we find that the adjudicating authority has addressed this aspect in para-10 of the impugned order, where it has been brought to the fold that appellant had not at all disclosed the receipt of income in respect of the activities done by them in respect of services provided by them in their ST-3 returns.

6.6 <u>The facts came to light only when the department conducted scrutiny of the annual</u> reports, possibly during audit. In such circumstances, the department is fully justified in invoking the extended period of limitation of five years."

(Emphasis supplied)

10.1 Since, suppression of facts has been made by the Appellant, penalty under Section 78 of the Act is mandatory. The Hon'ble Apex Court in the case of Rajasthan Spinning & Weaving Mills reported as 2009 (238) E.L.T. 3 (S.C.) has held that once ingredients for invoking extended period of limitation for demand of duty exist, imposition of penalty under Section 11AC is mandatory. The ratio of the said judgment is applicable to the facts of the present case. I, therefore, uphold penalty of Rs. 22,05,134/- imposed under Section 78 of the Act.

11. In view of above, I uphold the impugned order and reject the appeal.

12. अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई अपील का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है।

12. The appeal filed by the Appellant is disposed off as above.

प्रधान आयुक्त(अपील्स)





विपुल शाह अधीक्षक (अपोल्स)

## By R.P.A.D.

To, M/s Saurashtra Infra & Power Pvt. Ltd, Bharat CFS Zone 1, Adani Port Road, Mundra, District Kutch.	सेवामें, मे॰ सौराष्ट इन्फ्रा & पावर प्राइवेट लिमिटेड, भारत सीएफ़एस ज़ोन 1, अदानी पोर्ट रोड, मुँदरा, जिल्ला कच्छ।
---	--

# <u> प्रति :-</u>

- 1) प्रधान मुख्य आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, गुजरात क्षेत्र,अहमदाबाद को जानकारी हेतु।
- आयुक्त, वस्तु एवं सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,कच्छ आयुक्तालय,गांधीधाम को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3) सहायक आयुक्त,सीजीएसटी डिविजन मुँदरा,को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 4) गार्ड फ़ाइल।

